न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यारित)

प्रकरण संख्या 03 / 2017
प्रविष्टि दिनाक 18.09.2017

जरिये प्रहलाद मीना प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
-- प्रार्थी

बनाम

श्री रामफूल गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार श्रीरामपुरा ऊर्फ नयागांव (अस्थाई अटैच)तहसील निवाई जिला टोंक
-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे जप्त शुदा 126 लीटर केरोसीन का अन्तरिम निरस्ताण करने व राजसात करने बाबत

उपस्थितिः-
1- प्रर्वतन निरीक्षक पेरोकार सरकार -प्रार्थी की ओर से
2. श्री जितेन्द्र जैन,अभिभाषक अप्रार्थी - अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 18.01.2023**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक रसद / शिकायत / 2017 / 560 दिनांक 18.08.2017 की पालना में उचित मूल्य दुकानदार श्रीरामपुरा उर्फ नयागांव (अस्थाई अटैच) तह, निवाई की वितरण व्यवस्था में अनियमितता सबंधी प्राप्त शिकायत की जाँच दिनांक 26.08.2017 को ग्राम श्रीरामपुरा उर्फ नयागांव में मौके पर जाकर उचित मूल्य दुकानदार (अस्थाई अटैच) की दुकान की जॉच कर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया तथा दिनांक 27.08.2017 को पुनः जाकर उपभोक्ताओं के राशनकार्डो की जॉच कर उनकी पूछताछ दर्ज की गई। मौके पर डीलर ने बताया कि वह मूल रूप से ग्राम सीपुरा का उचित मूल्य दुकानदार है तथा प्राधिकार पत्र संख्या 643 है। सेम्पल बतौर जॉच किये गये 11 उपभोक्ताओं / परिवारों के नाम से उचित मूल्य दुकानदार श्री रामफूल गुर्जर ने राशन सामग्री की ऑनलाइन फर्जी बिक्री दर्ज करके तथा ऑनलाइन दस्तावेजों में कूट रचना करके 13.75 क्विंटल गेहूँ 41.5 किलोग्राम चीनी तथा 126 लीटर केरोसीन की कालाबाजारी की है तथा उन्हें राशन सामग्री से वंचित रखा है। अतः जप्त शुदा 126

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

लीटर केरोसीन का अन्तरिम निरस्तारण एंव राजसात करने हेतु यह प्रार्थना प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दोरान बहस कथन किया कि जिला रसद अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक रसद/शिकायत/2017/560 दिनांक 18.08.2017 की पालना में उचित मूल्य दुकानदार श्रीरामपुरा उर्फ नयागांव (अस्थाई अटैच) तह. निवाई श्री रामफूल गुर्जर की वितरण व्यवस्था में अनियमितता सबंधी प्राप्त शिकायत की जॉच दिनांक 26.08.2017 को ग्राम श्रीरामपुरा उर्फ नयागांव में मौके पर जाकर उचित मूल्य दुकानदार श्री रामफूल गूर्जर (अस्थाई अटैच)की दुकान की जॉच कर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया तथा दिनांक 27.08.2017 को पुनः जाकर उपभोक्ताओं के राशनकार्डो की जॉच कर उनकी पूछताछ दर्ज की गई। मौके पर श्री रामफूल गूर्जर ने बताया कि वह मूल रूप से ग्राम सीपुरा का उचित मूल्य दुकानदार है तथा प्राधिकार पत्र संख्या 643 है। श्री रामफूल गूर्जर ने बताया कि श्री रामपुरा उर्फ नयागांव की यह दुकान उसकी दुकान के साथ माह फरवरी 2017 के अन्त में अटैच की गई थी। उन्होंने बताया कि मार्च 2017 के प्रारम्भ में उसको पूर्व अस्थाई अटैच डीलर श्री देवनारायण गुर्जर (ललवाडी) से 60.56 क्विंटल गेहूँ तथा दुकान के मूल स्टॉक रजिस्टर व पोश मशीन चार्ज में प्राप्त हुए थे। श्री देवनारायण गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार ललवाडी ने भी अपने बयानों में बताया कि उसने मार्च 2017 में प्रारम्भिक में श्री रामफूल गूर्जर को 60.56 क्विंटल गेहूँ तथा दुकान के मूल स्टॉक रजिस्टर व पोश मशीन चार्ज में दिये थे। इस प्रकार इस दुकान में माह मार्च 2017 में चार्ज में प्राप्त अवशेष स्टॉक एवं उसके उपरांत स्टॉक रजिस्टर एवं डीलर द्वारा मौके पर पेश बिलों के अनुसार आपूरित गेहूँ की मात्रा 257.56 क्विंटल थी। इस प्रकार माह मार्च 2017 से दिनांक 26.08.2017 तक डीलर के पास वितरण हेतु उपलब्ध गेहूँ का कुल स्टॉक 257.56 क्विंटल होता है। इसी अवधि में पोश मशीन द्वारा कुल 236.15 क्विंटल गेहूँ का ऑनलाइन वितरण करना दर्ज है। इसी प्रकार 1 मार्च 2017 से 1 जुलाई 2017 के बीच वितरण हेतु उपलब्ध गेहूँ का कुल स्टॉक 206.56 क्विंटल होता है जबकि पोश मशीन संख्या 13023 द्वारा 1 मार्च 2017 से 31 जुलाई 2017 के बीच 219.35 क्विंटल गेहूँ का ऑनलाइन वितरण करना दर्ज है जो उपलब्ध स्टॉक से 12.79 क्विंटल अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ताओं के नाम से एफ पी एस डीलर श्री रामफूल गुर्जर द्वारा फर्जी ट्रांजेक्शन कर ऑनलाइन दस्तावेजों में कूट रचना करते हुए अपनी ऑनलाइन वितरण मात्रा को बढाया गया है। यह भी सम्भव है कि इस अवधि में 12.79 क्विंटल से भी अधिक मात्रा के फर्जी ट्रांजेक्शन एफ.पी. एस. डीलर द्वारा किये गये हो। श्री रामफूल गुर्जर के गेहूँ के स्टॉक रजिस्टर मे 1 अगस्त 2017 को प्रारम्भिक स्टॉक 3.86 क्विंटल होना दर्ज है

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

तथा किसान क्रय–विक्रय सहकारी समिति निवाई के बिल नम्बर 1677 दिनांक 10.08.2017 द्वारा 51.00 क्विंटल गेहूँ की आमद दर्ज पाई गई। अतः माह अगस्त 2017 में एफ.पी.एस. डीलर श्री रामफूल गुर्जर के पास वितरण हेतु उपलब्ध गेहूँ का कुल स्टॉक 54.86 क्विंटल होता है। पोश मशीन संख्या 13023 की डिटेल चैक करने पर दिनांक 01.08.2017 से 26.08.2017 के बीच 16.80 क्विटल गेहूँ का ऑनलाइन वितरण करना दर्ज पाया गया। इस प्रकार निरीक्षण दिनांक 26.08.2017 को मौके पर 38.06 क्विंटल गेहूँ होना चाहिए जबकि भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में केवल 20.50 क्विंटल गेहूँ ही पाया गया। (कुल 41 कट्टे 50 किलोग्राम प्रति कट्टा एफ.सी.आई. की पेकिंग में) अतः भौतिक सत्यापन करने पर गेहूँ का स्टॉक 17.56 क्विंटल कम होना पाया गया। श्री रामफूल गुर्जर के केरोसीन के स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 23.07.2017 को केरोसीन का अंतिम स्टॉक 99 लीटर दर्ज पाया गया तथा इसके बाद रजिस्टर में कोई भी इन्द्राज नहीं पाया गया। डीलर श्री रामफूल गुर्जर ने बताया कि दिनांक 23.07.2017 के बाद उसकी दुकान पर केरोसीन की कोई आमद प्राप्त नहीं हुई है। इसी दुकान की पोश मशीन संख्या 13023 की डिटेल चौक करने पर दिनांक 23.07.2017 से 26.08.2017 के बीच 40 लीटर केरोसीन का ऑनलाइन वितरण करना दर्ज पाया गया। इस प्रकार दिनांक 26.08.2017 को वक्त जॉच मोके पर केरोसीन का स्टॉक 59 लीटर होना चाहिए लेकिन भौतिक सत्यापन करने पर मौके पर 185 लीटर केरोसीन तेल स्टॉक में पाया गया जो निर्धारित मात्रा से 126 लीटर अधिक है। केरोसीन स्टॉक के निर्धारित मात्रा से अधिक पाये जाने से स्पष्ट होता है कि उचित मूल्य दुकानदार श्री रामफूल गुर्जर द्वारा उपभोक्ताओं के राशनकार्डो पर ऑनलाइन दस्तावेजों में कूट रचना करके अपनी ऑनलाइन वितरण मात्रा को बढाया गया है तथा उपभोक्ताओं को केरोसीन उपलब्ध नहीं करवाया है। स्टॉक में निर्धारित मात्रा से अधिक पाये गये 126 लीटर केरोसीन को मौके पर ही श्री रामफूल गुर्जर के कब्जे से जप्त कर निकटवर्ती ग्राम पंचायत ललवाडी के उचित मूल्य दुकानदार श्री देवनारायण गुर्जर को सुपुर्दगी में दिया गया।उक्त जॉच के सिलसिले में ही दिनांक 27.08.2017 को पुनः ग्राम श्रीरामपुरा उर्फ नयागांव जाकर उपभोक्ताओं राशनकार्डो की जॉच कर पूछताछ दर्ज की गई। सेम्पल बतौर जॉच किये गये 11 उपभोक्ताओं/परिवारों के नाम से उचित मूल्य दुकानदार श्री रामफूल गुर्जर ने राशन सामग्री की ऑनलाइन फर्जी बिक्री दर्ज करके तथा ऑनलाइन दस्तावेजों में कूट रचना करके 13.75 क्विंटल गेहूं 41.5 किलोग्राम चीनी तथा 126 लीटर केरोसीन की कालाबाजारी की है तथा उन्हें राशन सामग्री से वंचित रखा है। अतः जप्त शुद्दा 126 लीटर केरोसीन को राजसात किया जावे ।

अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रकरण का उचित निरतारण किये जाने का अनुरोध किया।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

हमने पेरोकार सरकार की बहस एंव अप्रार्थीगण के कथन पर मनन किया व पत्रावली का अध्ययन किया। जिला रसद अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक रसद/शिकायत/2017/560 दिनांक 18.08.2017 की पालना में उचित मूल्य दुकानदार श्रीरामपुरा उर्फ नयागांव (अस्थाई अटैच) तह, निवाई श्री रामफूल गुर्जर की वितरण व्यवस्था में अनियमितता सबंधी प्राप्त शिकायत की जाँच दिनांक 26.08.2017 को ग्राम श्रीरामपुरा उर्फ नयागांव में मौके पर जाकर जॉच कर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया तथा दिनांक 27.08.2017 को पुनः जाकर उपभोक्ताओं के राशनकार्डो की जाँच कर उनकी पूछताछ दर्ज की गई। मौके पर डीलर ने बताया कि वह मूल रूप से ग्राम सीपुरा का उचित मूल्य दुकानदार है तथा प्राधिकार पत्र संख्या 643 है। डीलर को मार्च 2017 के प्रारम्भ में उसको पूर्व अस्थाई अटैच डीलर श्री देवनारायण गुर्जर (ललवाडी) से 60.56 क्विंटल गेहूँ तथा दुकान के मूल स्टॉक रजिस्टर व पोश मशीन चार्ज में प्राप्त हुए थे। डीलर के पास माह मार्च 2017 से दिनांक 26.08.2017 तक डीलर के पास वितरण हेतु उपलब्ध गेहूँ का कुल स्टॉक 257.56 क्विंटल होता है। इसी अवधि में पोश मशीन द्वारा कुल 236.15 क्विंटल गेहूँ का ऑनलाइन वितरण करना दर्ज है। इसी प्रकार 1 मार्च 2017 से 1 जुलाई 2017 के बीच वितरण हेतु उपलब्ध गेहूँ का कुल स्टॉक 206.56 क्विंटल होता है,जबकि पोश मशीन संख्या 13023 द्वारा 1 मार्च 2017 से 31 जुलाई 2017 के बीच 219.35 क्विंटल गेहूँ का ऑनलाइन वितरण करना दर्ज है जो उपलब्ध स्टॉक से 12.79 क्विंटल अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ताओं के नाम से एफ. पी. एस. डीलर द्वारा फर्जी ट्राजेक्शन कर ऑनलाइन दस्तावेजों में कूट रचना करते हुए अपनी ऑनलाइन वितरण मात्रा को बढाया गया है। यह भी सम्भव है कि इस अवधि में 12.79 क्विंटल से भी अधिक मात्रा के फर्जी ट्रांजेक्शन एफ.पी. एस. डीलर द्वारा किये गये हो। श्री रामफूल गुर्जर के गेहूँ के स्टॉक रजिस्टर में 1 अगस्त 2017 को प्रारम्भिक स्टॉक 3.86 क्विंटल होना दर्ज है तथा किसान क्रय-विक्रय सहकारी समिति निवाई के बिल नम्बर 1677 दिनांक 10.08.2017 द्वारा 51.00 क्विंटल गेहूँ की आमद दर्ज पाई गई। अतः माह अगस्त 2017 में एफ.पी.एस. डीलर श्री रामफूल गुर्जर के पास वितरण हेतु उपलब्ध गेहूँ का कुल स्टॉक 54.86 क्विंटल होता है। पोश मशीन संख्या 13023 की डिटेल चौक करने पर दिनांक 01.08.2017 से 26.08.2017 के बीच 16.80 क्विटल गेहूँ का ऑनलाइन वितरण करना दर्ज पाया गया। इस प्रकार निरीक्षण दिनांक 26.08.2017 को मौके पर 38.06 क्विंटल गेहूँ होना चाहिए, जबकि भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में केवल 20.50 क्विंटल गेहूँ ही पाया गया। (कुल 41 कट्टे 50 किलोग्राम प्रति कट्टा एफ. सी.आई. की पेकिंग मे) अतः भौतिक सत्यापन करने पर गेहूँ का स्टॉक 17.56 क्विंटल कम होना पाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

डीलर के केरोसीन के स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 23.07.2017 को केरोसीन का अंतिम स्टॉक 99 लीटर दर्ज पाया गया तथा इसके बाद रजिस्टर में कोई भी इन्द्राज नहीं पाया गया। डीलर का कथन है कि दिनांक 23.07.2017 के बाद उसकी दुकान पर केरोसीन की कोई आमद प्राप्त नहीं हुई है। इसी दुकान की पोश मशीन संख्या 13023 की डिटेल चौक करने पर दिनांक 23.07.2017 से 26.08.2017 के बीच 40 लीटर केरोसीन का ऑनलाइन वितरण करना दर्ज पाया गया। इस प्रकार दिनांक 26.08.2017 को वक्त जाँच मोके पर केरोसीन का स्टॉक 59 लीटर होना चाहिए,लेकिन भौतिक सत्यापन करने पर मौके पर 185 लीटर केरोसीन तेल स्टॉक में पाया गया जो निर्धारित मात्रा से 126 लीटर अधिक है। केरोसीन स्टॉक के निर्धारित मात्रा से अधिक पाये जाने से स्पष्ट होता है कि उचित मूल्य दुकानदार श्री रामफूल गुर्जर द्वारा उपभोक्ताओं के राशनकार्डो पर ऑनलाइन दस्तावेजों में कूट रचना करके अपनी ऑनलाइन वितरण मात्रा को बढ़ाया गया है तथा उपभोक्ताओं को केरोसीन उपलब्ध नहीं करवाया है। स्टॉक में निर्धारित मात्रा से अधिक पाये गये 126 लीटर केरोसीन को मौके पर ही डीलर के कब्जे से जप्त कर निकटवर्ती ग्राम पंचायत ललवाड़ी के उचित मूल्य दुकानदार श्री देवनारायण गुर्जर को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा 126 लीटर केरोसीन की कालाबाजारी कर डीलर ने राजस्थान खाधान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार कि शर्तो का उल्लघंन किया है। अतः जप्त शुदा 126 लीटर केरोसीन नियमानुसार राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जप्तशुद्धा 126 लीटर केरोसीन राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि राजसात किये गय केरोसीन का निस्तारण कर प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष मे जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)